पुलिस आई0टी0आई भोपाल

e-mail ID : policeitibhopal@yahoo.in Tel. No. 0755-2443517

(पुलिस विभाग कल्याण शाखा द्वारा संचालित)
एवं
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
NCVT & SCVT मान्यता प्राप्त

(डीजीईटी दिल्ली द्वारा एफीलिएटेड (सम्बंद्ध)

जेल रोड, जहांगीराबाद, भोपाल (म0 प्र0) पिन कोड –462008
पुलिस आई0टी0आई0 इन्दौर 10, किला मैदान, इन्दौर (म0प्र0) 456005

संचालनालय

कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश साई मंदिर के सामने, नर्मदा रोड जबलपुर (म0प्र0) 482008 एवं गैस आई0टी0आई0 परिसर, गोविन्दपुरा भोपाल (म0प्र0) 4620023

पुलिस आईटीआई, भोपाल के प्रशासनिक अधिकारी

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण एवं लेखा)
   पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश।

2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)
   पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश।

3. उप पुलिस अधीक्षक (कल्याण)
   पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश।

पुलिस आई0टी0आई में प्रशिक्षण हेतु पात्रता

1.	मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सेवारत /सेवानिवृत्त/स्वर्गीय पुलिसकर्मियों के पुत्र/पुत्री ।
2.	मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सेवारत पुलिसकर्मियों के रक्त संबंधी जैसे पत्नी/भाई/साला/भतीजा।
3.	नगर सेना (होमगार्ड) में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।
4.	सैनिक/भूतपूर्व सैनिक (उपलब्ध न होने पर उनके पुत्र/पुत्री)
5.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री /पौत्र /पौत्री/नाती/नातिन।

प्रवेश पद्धति

अभ्यर्थी पंजीयन हेतु अपने स्वयं के अथवा अन्य किसी इन्टरनेट का उपयोग कर सकते हैं अथवा एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क सेन्टर पर जाकर आईटीआई की वेबसाइड iti.mponline.gov.in पर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करा सकते है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते समय ध्यान देने योग्य बातें :–

1. नाम 10 वीं की अंकसूची के अनुसार लिखा होना चाहिये।
2. आधार कार्ड नं0, मोबाइल नं0, ईमेल/जीमेल एड्रेस अवश्य दर्ज करवायें।
3. रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये/बताये गये पासवर्ड को नोट कर लें अथवा पासवर्ड के अभाव में आप प्रवेश से वंचित हो जावेंगे।
4. क्या आप पुलिस आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते है वाले कॉलम में **(हां)** लिखने पर ही आपको पुलिस आईटीआई, भोपाल/इन्दौर में प्रवेश हेतु पात्र माना जावेगा।
5. च्वाईस फिलिंग ऑप्शन में च्वाइस फिलिंग हेतु व्यवसाय का चुनाव कतई दर्ज न करायें **च्वाईस फिलिंग केवल शासकीय आईटीआई के लिये है**। पुलिस आईटीआई में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अंतिम तिथि से पूर्व स्वयं संस्था में उपस्थित होकर च्वाईस फिलिंग कराना होगा।
6. प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/निराकरण हेतु अधीक्षक, पुलिस आईटीआई भोपाल मो0 9425018643 पर सम्पर्क करें।

च्वाईस फिलिंग व प्रमाण–पत्रों का सत्यापन :– अभ्यर्थी को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदन के प्रिन्ट आउट की एक प्रति पासवर्ड के साथ अनिवार्य रूप से कार्यालय पुलिस आई0टी0आई0, जेल रोड जहॉंगीराबाद भोपाल में निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व कार्यालयीन समय में जमा कर च्वाईस फिलिंग करानी होगी तथा अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा।

पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल
में प्रवेश हेतु व्यवसाय,शैक्षणिक योग्यता एवं उपलब्ध स्थानों का विवरण

क्र0	व्यवसाय	स्थान	मान्यता	अवधि	शैक्षणिक योग्यता
01	डीजल मैकेनिक	21	एनसीव्हीटी	01 वर्ष (02सेमेस्टर)	10+2 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा समतुल्य।
02	वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक)	21	एनसीव्हीटी	01 वर्ष (02सेमेस्टर)	10+2 के अन्तर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
03	स्वीइंग टेक्नोलाजी	21	एनसीव्हीटी	01 वर्ष (04सेमेस्टर)	10+2 के अन्तर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
04	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेन्ट (हिन्दी) (दो यूनिट)	26+26	एनसीव्हीटी	01 वर्ष (02सेमेस्टर)	10+2 के अन्तर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
05	मैकेनिक मोटर व्हीकल	21	**एससीव्हीटी**	02 वर्ष (04सेमेस्टर)	10+2 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा समतुल्य।
06	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	26	**एससीव्हीटी**	2वर्ष (04सेमेस्टर)	10+2 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा समतुल्य।

पुलिस आई0टी0आई0 इन्दौर
में प्रवेश हेतु व्यवसाय,शैक्षणिक योग्यता एवं उपलब्ध स्थानों का विवरण

क0	व्यवसाय	स्थान	मान्यता	अवधि	शैक्षणिक योग्यता
01	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक (दो यूनिट)	26+26	**एनसीव्हीटी**	2 वर्ष (04 सेमेस्टर)	10+2 विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा समतुल्य।
02	कोपा (कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट) (एक यूनिट)	26	**एससीव्हीटी**	1 वर्ष (02 सेमेस्टर)	10+2 विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा समतुल्य।

आयु सीमा

प्रवेश के समय आयु सीमा सभी व्यवसायों के उम्मीदवारों के लिये 14 वर्ष या इससे अधिक हो

प्रशिक्षण अवधि

प्रतिदिन प्रातःकाल 9.30 से दोपहर 12.10 तक सैद्धांतिक कक्षायें
दोपहर 12.10 से दोपहर 1.00 तक भोजन अवकाश
दोपहर 1.00 से सायं 5.30 तक प्रायोगिक कार्य

सेमेस्टर अवधि

प्रथम सेमेस्टर	एक अगस्त से 31 जनवरी तक।
द्वितीय सेमेस्टर	एक फरवरी से 31 जुलाई तक।

प्रवेश में आरक्षण का प्रतिशत

क्र0	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण/कोटा
	वर्टिकल आरक्षण	
1	पुलिसकर्मी की पुत्री हेतु महिला आरक्षण (वर्टीकल व होरिजेण्टल)	30 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्री हेतु	16 प्रतिशत
3	अनुसूचित जनजाति पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्री हेतु	21 प्रतिशत
4	अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्री हेतु	14 प्रतिशत
	होरिजेण्टल आरक्षण	
5	स्वर्गीय पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्री हेतु	04 प्रतिशत
6	पुलिसकर्मी के दिव्यांग पुत्र/पुत्री हेतु	03 प्रतिशत
7	नगर सेनिको के पुत्र/पुत्री हेतु	05 प्रतिशत
8	भूतपूर्व सैनिकों व उनके पुत्र/पुत्री हेतु	03 प्रतिशत
9	स्व0सं0से0 के पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन हेतु	03 प्रतिशत
10	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पुलिस (कल्याण) तथा पुलिस आईटीआई भोपाल में कार्यरत स्टॉफ के पुत्र/पुत्री हेतु	05 प्रतिशत

(नोट – प्रवेश के समय आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा)

प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही

1. प्रवेश की कार्यवाही व्यवसायवार निर्धारित न्यूनतम 10+2 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 10वीं कक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट सूची के आधार पर की जावेगी।
2. प्रवेश प्रावीण्यता के आधार पर निर्धारित वर्टीकल व हॉरीजेन्टल आरक्षण के आधार पर दिया जावेगा।
3. सर्वप्रथम मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सेवारत पुलिसकर्मीयों के पुत्र/पुत्रियों को तत्पश्चात् मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सेवारत पुलिसकर्मियों के प्रथम रक्त संबंधियों भाई/भतीजा तथा अन्त में द्वितीय रक्त संबंधियों को जैसे पत्नी/साला इत्यादि।

प्रवेश में पारदर्शिता हेतु गठित कमेटी

1.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), भोपाल	अध्यक्ष
2	उप पुलिस अधीक्षक (कल्याण), भोपाल	अध्यक्ष
3	अधीक्षक, पुलिस आई टी आई भोपाल	सदस्य
4.	प्रवेश अधिकारी, पुलिस आई टी आई, भोपाल	सदस्य

प्रवेश शुल्क

1.	प्रशिक्षण शुल्क (एक वर्षीय कोर्स के लिये) प्रतिवर्ष	2500/.
2.	परीक्षा शुल्क (एक वर्षीय कोर्स के लिये)	200/. ,,
3.	जमानत राशि (काशनमनी) वापसी योग्य	250/. ,,
4.	छात्रावास शुल्क (केवल बाहर से आये छात्रों हेतु)	600/ ,,

प्रवेश सूचना

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि समाप्ति के 10 दिन के बाद चयन सूची संस्था में सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी स्थानीय अभ्यर्थी इसे संस्था के नोटिस बोर्ड पर देख सकते हैं। प्रवेश की सूचना कार्यालय पुलिस आईटीआई,भोपाल/इन्दौर द्वारा अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल/ईमेल/जीमेल पर एसएमएस द्वारा भेजी जावेगी। अतः अभ्यर्थी अपना मोबाइल नं. व ईमेल एड्रेस रजिस्ट्रेशन के समय सही अंकित करें तथा समय–समय पर एसएमएस चेक करते रहें। मोबाइल बंद होने की दशा में प्रवेश की सूचना प्राप्त न होने पर संस्था की किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं होगी।

प्रवेश लेने के बाद प्रवेश एक माह तक अस्थाई होगा। प्रवेश लेने के बाद बिना सूचना 10 दिन तक अनुपस्थित रहने पर या प्रवेश के जमा कराये जानें वाले दस्तावेज निर्धारित समयावधि में जमा न किये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा आपके स्थान पर अन्य पात्र उम्मीदवार को प्रवेश देनें का अधिकार संस्था प्रमुख को होगा।

च्वाईस फिलिंग व प्रमाण–पत्रों का सत्यापन :– अभ्यर्थी को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदन के प्रिन्ट आउट की एक प्रति पासवर्ड के साथ अनिवार्य रूप से कार्यालय पुलिस आई0टी0आई0, जेल रोड जहॉंगीराबाद भोपाल में निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व कार्यालयीन समय में जमा कर च्वाईस फिलिंग करानी होगी तथा अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा।

प्रवेश के समय अनिवार्य प्रमाण पत्र का प्रारूप

पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाण–पत्र पुलिसकर्मी अपने कार्यालय से भरवाकर प्रस्तुत करे)

प्रमाणित किया जाता है कि (पुत्र/पुत्री) का नाम –. ———————— ——————
वैवाहिक स्थिति :– विवाहित/अविवाहित
पिता/माता का नाम(जो पुलिस में कार्यरत हों)——————————————————
पद एवं तैनाती स्थान/कार्यालय ————————————————————————

यह प्रमाण–पत्र इन्हें पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति प्रदाय हेतु दिया जा रहा है ।

इकाई प्रमुख के हस्ताक्षर व सील

पुलिसकर्मी पालक होनें पर दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र

(यह प्रमाण–पत्र पालक पुलिसकर्मी अपने कार्यालय से भरवाकर प्रस्तुत करे)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक का नाम –.————————————————
पिता/माता का नाम(जो पुलिस में कार्यरत हो)——————————————————
पद व तैनाती स्थान/कार्यालय————————————————————————
पुलिस कर्मचारी से रिश्ता –भाई/बहन/भतीजा/भतीजी/साला/साली/पत्नी (जो लागू हो उसे टिक कर दें)
यह प्रमाण–पत्र इन्हें पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल में पालक कोटा में प्रवेश हेतु दिया जा रहा है ।

इकाई प्रमुख के हस्ताक्षर व सील

(इस प्रमाण पत्र के साथ नोटरी द्वारा बनाया गया शपथ पत्र जमा करना आवश्यक है)

परीक्षा से संबंधित जानकारी

परीक्षा का माध्यम :– सेमेस्टरवाइज हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में ऑनलाइन ।

परीक्षा का आयोजन :– प्रथम/तृतीय सेमेस्टर – जनवरी माह के अन्त में।
द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर – जुलाई माह के अन्त में।

परीक्षा हेतु पात्रता :– किसी सेमेस्टर परीक्षा में सम्मलित होने के लिये प्रत्येक क्वार्टर में हॉजरी **80 प्रतिशत** तथा सेशनल मार्क्स **60 प्रतिशत** होने पर ही परीक्षा में सम्मलित होने की पात्रता होगी।

पूरक परीक्षा :– पूरक आने पर प्रशिक्षणार्थी को परीक्षा में बैठने हेतु 7 अवसर(चान्स) दिये जाते है एक भी चान्स में परीक्षा न देने पर या मिस होने पर चान्स का लाभ दुबारा नहीं दिया जाता तथा चान्स की गणना कर ली जाती है।

परीक्षा केन्द्र :–भोपाल एवं रायसेन, सीहोर, तथा विदिशा जिले के इंजीनियरिंग कालेजों में।

परीक्षा फीस की राशि :– परीक्षा फीस की राशि प्रति पेपर रू 350/ (गैर तकनीकी व्यवसाय हेतु) तथा दो पेपर हेतु 700/ (तकनीकी व्यवसाय हेतु) प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति सेमेस्टर एमपी ऑनलाइन को निम्नानुसार अदा करना होता है।

परीक्षा फीस पेमेन्ट पद्धति :– पे थ्रो पेटीएम/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ नेट बैकिंग /नैफ्ट/आरटीजीएस द्वारा यश बैंक को एमपी ऑनलाइन द्वारा दिये गये एकाउन्ट नम्बर पर ट्रांसफर।

परीक्षा परिणाम घोषित :–एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा परिणाम, परीक्षा होने के एक माह बाद।

अंकसूची एवं प्रमाणपत्र :– संस्था की आईडी पर एनसीव्हीटी एमआईएस पोर्टल पर अंकसूची तथा राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र (एनटीसी) डीजीईटी नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा भेजे जाते है जो प्रशिक्षार्थियों को प्रदाय किये जाते है।

राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र – परीक्षा के उपरांत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर **राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र** प्रदत्त किया जाता है। जिन व्यवसायों मे ंराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.व्ही.टी.) की मान्यता नहीं है उनमे ंपरीक्षा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अंतर्गत संचालित की जाती है तथा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर **राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र** प्रदत्त किया जाता है ।

:: अन्य जानकारी ::

प्रशिक्षणार्थियों को शिष्यवृति :– रू 600/ प्रति माह केवल पुलिसकर्मी के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी शिक्षानिधि का कटौत्रा किया जाता हो पुलिस कल्याण निधि से दी जाती है। पुलिसकर्मी की दो सन्तान के एक साथ प्रवेश लेने पर बड़े पुत्र/पुत्री को शिष्यवृति का पात्र माना जाता है।

(प्रशिक्षणार्थी द्वारा आ0 अवकाश तथा मेडीकल लीव लेने पर बिना कटौत्रा किये शतप्रतिशत शिष्यवृति दी जाती है परंतु बिना सूचना तीन दिन तक संस्था से अनुपस्थित रहने पर शिष्यवृति की पात्रता समाप्त हो जाती है)

प्रशिक्षणार्थियों को अवकाश :– एक वर्ष में 12 दिनों का आ0 अवकाश, 15 दिन का लघु चिकित्सा अवकाश, 21 दिन का दीर्घ चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिन का विशेष अवकाश दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में तीन सप्ताह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। द्विवर्षीय कोर्स के लिये 24 आ0 अवकाश 15 दिनों का लघु चिकित्सा अवकाश 42 दिनों का दीर्घ चिकित्सा अवकाश तथा 15 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में चार सप्ताह तक अवकाश बढाया जा सकता है।

शासकीय अवकाश :– म0 प्र0 शासन के समस्त शासकीय अवकाश, स्थानीय अवकाश द्वितीय व तृतीय शनिवार, के अलावा कौशल विकास विभाग के नियमानुसार सेमेस्टर के अंत में या ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश देने का प्रावधान नहीं है।

छात्रावास सुविधा :– बाहर से प्रशिक्षण प्राप्त करने आये प्रशिक्षणार्थियों हेतु छात्रावास की सुविधा है। पुराने छात्रावास में 30 प्रशिक्षणार्थियों तथा नये छात्रावास में 30 प्रशिक्षणार्थियों के रहने की सुविधा प्राप्त है। भोजन हेतु प्रशिक्षणार्थी मैस कटिंग जमा कर 7 वी वाहनी की मेस से टिफिन प्राप्त करते हैं।

ड्रेस कोड :– डार्क ग्रे कलर का फुलपेन्ट तथा स्काय बल्यू शर्ट ब्लेक लेदर शूज़ तथा स्काय बल्यू मोजे। महिलाओं के लिये ग्रे कलर की सलवार तथा स्काय बल्यू कुर्ता ग्रे कलर का दुप्ट्टा ब्लेक लेदर लेडीज शूज़ तथा स्काय बल्यू मोजे प्रशिक्षणार्थी स्वयं के खर्चे से कय करेगा।

निष्कासन :– बिना सूचना 10 दिन तक अनुपस्थित रहने पर अभिभावक को कार्यालय के माध्यम से तीन बार सूचना जारी की जावेगी तथा उपस्थित न होने पर संस्था से नाम खारिज कर जमा की गई जमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। इसके अलावा अनुशासनहीनता करने पर बगैर सूचना भेजे संस्था से नाम खारिज कर जमा की गई जमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

अधीक्षक पुलिस आई0टी0आई0 भोपाल।